संख्या-14/2025/आई/898637/23-7-2025/001-पीडब्लूडी-बीडीडी60जेन/24/2025-बीडीडी6-पार्ट(1)

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2025

विषय: पुलों के अनुरक्षण एवं मरम्मत मद से आई0ओ0सी0एल0 में जमा धनराशि को प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा धनराशि के पुन: आवंटन के सम्बन्ध में रिट याचिका सी सं0-9376/2024 मै0 ए0एम0 बिल्डर्स द्वारा प्रो0 श्री जावेद अली खान बनाम उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, लखनऊ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.11.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-I/106815/2025, दिनांक 28.01.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त रिट याचिका सी सं0-9376/2024 मै0 ए0एम0 बिल्डर्स द्वारा प्रो0 श्री जावेद अली खान बनाम उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, लखनऊ एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2024 के अनुपालन में जनपद रामपुर के 02 कार्यों पर आई0ओ0सी0एल0 मथुरा से प्राप्त धनराशि रू0 69.70 लाख के सापेक्ष अवशेष देयता के अनुसार कुल धनराशि रू0 68,41,528.00 (रूपये अढ़सठ लाख इक्तालिस हजार पॉच सौ अट्ठाईस मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से निम्नानुसार किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	आई0ओ0सी0एल0 में जमा धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	प्रा0खं0, रामपुर	पिपलिया मिश्र से खण्डिया मार्ग के किमी0-1 में स्थित सेतु का मरम्मत कार्य।	39.32	35.35	34.22326
2	प्रा0खं0, रामपुर	अहरो बंगाली कालोनी मार्ग के किमी0-2 में स्थित सेतु का मरम्मत कार्य।	38.27	34.35	34.19202
		योग-	**77.59**	**69.70**	**68.41528**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0, लोक निर्माण विभाग, रामपुर द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 68,41,458.00 (रूपये अढ़सठ लाख इक्तालिस हजार पॉच सौ अट्ठाईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

संख्या-14/2025/आई/898637/23-7-2025/001-पीडब्लूडी-बीडीडी60जेन/24/2025-बीडीडी6-पार्ट(1)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, रामपुर।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रामपुर।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।
8- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर।
10-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11-लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभिषेगक गंगवार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in